न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2017 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 18.07.2017

श्री तख्तसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी सिन्दवडी राज्य पटवारी हल्का सामरी, तहसील चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार पटवारी हल्का सामरी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 बनाराजगी निर्णय व आदेश न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 117/16 ना.क. कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 निर्णय दिनांक 16.05.2017

उपस्थितिः– 1– श्री सावन श्रीमाली अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2– श्री मनोहरलाल दक, राजकीय अभिभाषक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 27.08.2019

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने यह अपील न्यायालय में इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम सिन्दवडी में बाप–दादाओं के समय से अपीलार्थी उक्त मकान का उपयोग– उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड की लम्बाई व चौड़ाई 47 बाई 85 फीट होकर कुल क्षेत्रफल 3995 वर्ग फीट है। उक्त भूखण्ड का उपयोग लगभग 100 वर्षो से कर रहा है जिसके पड़ौस उत्तर में बाबरूलाल पिता मंगनीराम गाडरी, दक्षिण में आम रास्ता, पूरब में आम रास्ता व पश्चिम में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। उक्त भूखण्ड पर अपीलार्थी का कब्जा उक्त भूमि स्कूल उपयोग में दिए जाने से पूर्व से ही चला आ रहा है जो कि नियमन योग्य है। पटवारी हल्का सामरी की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम सिन्दवडी की स्कूल भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण

जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

मानते हुए अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही दिनांक 16.05.2017 को लगान का 50 गुणा शास्ति एवं बेदखल किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने से बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि अपीलार्थी का ग्राम सिन्दवडी में बाप-दादाओं के समय से मकान स्थित होकर बाप-दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है उक्त सम्पत्ति के अलावा पशुधन बांधने एवं कृषि सामग्री रखने के लिए अन्य कोई स्थान नहीं है। उक्त भूखण्ड विद्यालय के नाम उपयोग में दिये जाने से पूर्व से ही अपीलार्थी का उक्त भूखण्ड पर कब्जा चला आ रहा है जो कि नियमन योग्य है। मौके पर लाखों रूपये की लागत लगाकर अपीलार्थी ने निर्माण किया है तथा कब्जे के आधार पर नियमन के प्रावधान है तथा सरकार का उद्धेश्य भी जनता के लिए मकान उपलब्ध कराना है। तहसील चित्तौड़गढ़ के पटवार हल्का सामरी की रिपोर्ट के आधार पर मौजा सिन्दवडी की आराजी नम्बर 65 रकबा 0.02 है. पर अपीलार्थी का अतिक्रमण मानते हुए दिनांक 16.05.2017 को अपीलार्थी को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये पटवार हल्का द्वारा पेश किये गये दस्तावेज के आधार पर कब्जा मानते हुए बेदखली व जुर्माने का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात पर अपीलार्थी का पुराना कब्जा होकर पूर्वजों से चला आ रहा है जो नियमन योग्य कब्जा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.17 निरस्त कर विवादित आराजीयात का नियमन आदेश अपीलार्थीगण के नाम जारी किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिन्दवडी की भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर चार-दीवारी का निर्माण कार्य कर रहा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट को दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी को सूचना पत्र जारी किया गया है तथा

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ़

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त नोटिस अपीलार्थी के पुत्र श्री महेन्द्र सिंह द्वारा प्राप्त किया गया है। अतः अपीलार्थी का कथन कि बिना सुनवाई का अवसर दिए आदेश पारित किया है मानने योग्य नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का सामरी की रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का ग्राम सिन्दवडी की आराजी नम्बर 65 कुल रकबा 0.19 है. में से लगभग 0.02 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है जो कि उक्त भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिन्दवडी के नाम पर है तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर चारदीवारी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही विद्यालय भूमि पर अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए अतिक्रमण के संबंध में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को शिकायत भी प्रस्तुत की है जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः विद्यालय भूमि पर कब्जे/अतिक्रमण को किसी भी स्थिति में नियमन योग्य नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सिन्दवडी की भूमि पर अवैध अतिक्रमण सिद्ध पाया जाता है। निष्कर्षतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल करने एवं लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने संबंधी पारित आदेश विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2017 यथावत रखा जाता है।

"निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।"

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़